संख्या :575/XVII–02/2008–06(49)2008

प्रेषक,

1. केशव देसिराजू
प्रमुख सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

2. मनीषा पंवार
सचिव एवं आयुक्त,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–02, देहरादून : दिनांक २२ सितम्बर, 2008

विषयः–विकलांगजन अधिनियम, 1995 की धारा–25 के अन्तर्गत विकलांगजन सर्वे कराया जाना।

महोदय,

नवोदित उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात विकलांगजनों का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर प्राप्त आंकड़े मात्र संख्यात्मक हैं, जिसके आधार पर भारत सरकार व राज्य सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समस्त विकलांगजनों तक पहुँचने में समस्या आ रही है। विकलांगजन अधिनियम 1995 का कार्यान्वयन राज्य सरकार का दायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा–25 में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारें यथाशक्ति विकलांगता के कारणों को जानने हेतु, विकलांगता को रोकने के उपाय व विकलांग व्यक्तियों के चिन्हीकरण हेतु सर्वेक्षण करायेंगी। इस विषय पर समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के मध्य हुये विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि उक्त विभागों के सहयोग से विकलांगजनों का सर्वेक्षण कराया जाये। इस हेतु निम्न कार्ययोजना बनायी जाती है :–

1. जिला स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति–पूर्ण सवेक्षण का कार्य सुनिश्चित करेगी। इसके सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पूर्ण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे।

2. सर्वेक्षण हेतु समस्त जनपदों के निम्नानुसार समूह बनाये जाते हैं और इंगित जनपद के स्तर पर सर्वेक्षणकर्ताओं/मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा :–

1.	उत्तरकाशी व टिहरी	उत्तरकाशी में
2.	रूद्रप्रयाग, चमोली व पौड़ी	श्रीनगर में
3.	देहरादून व हरिद्वार	देहरादून में
4.	अल्मोड़ा व बागेश्वर	अल्मोड़ा में
5.	पिथौरागढ़ व चम्पावत	पिथौरागढ़ में
6.	नैनीताल व ऊधम सिंह नगर	ऊधम सिंह नगर में

3. प्रत्येक समूह के जनपदों में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में, विकलांगता विषयक प्रशिक्षण, रैफेल राईडर चेशायर होम, देहरादून, जिसे नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा स्टेट नोडल एजेन्सी सेन्टर (SNAC) के रूप में नामांकित किया गया है, के द्वारा दिया जायेगा।

4. राफेल के द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समय सारिणी प्रचारित/प्रसारित की जायेगी।

5. समस्त मास्टर ट्रेनर, तदोपरान्त अपने जनपदों की आंगनबाड़ी कर्त्रियों व आश कर्मियों को अपने विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इन प्रशिक्षणों कार्यक्रमों की समय–सारणी जिला समिति तय करेगी व अन्य व्यवस्थायें समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी।

6. यह सर्वेक्षण समयबद्ध है व एक बार में पूर्ण किया जाना है। अतः इस कार्य विशेष के लिये प्रत्येक आशाकर्मी व आंगनबाड़ी कर्त्री को कुल रू0 200/– (एकमुश्त) का मानदेय समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।

7. आंगनबाड़ी कर्त्री 0–06 आयु वर्ग के व आशाकर्मी 06 से ऊपर के समस्त आयु वर्गों के विकलांगजनों का चिन्हीकरण करेगी।

8. ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के समय आशाकर्मी व आंगनबाड़ी कर्त्री के मध्य उनके कार्यक्षेत्र के घरों के बराबर इस प्रकार बांट दिया जाये ताकि कोई ओवरलेपिंग न हो। साथ ही सुनिश्चित भी करें कि कोई मजरा व हाउसहोल्ड न छूटे।

9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सहयोग प्रदान करेंगे व सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रमों की सूचना सभी को हो जाये।

10. सर्वेक्षण का प्रपत्र अक्टूबर माह में समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जायेगा।

10. मुख्य चिकित्साधिकारी सर्वेक्षण उपरान्त इन सर्वेक्षण प्रपत्रों को ब्लाक से प्राप्त करके जिला समाज कल्याण अधिकारियों को प्राप्त करायेंगे, जो इन सर्वेक्षण रिपोर्टों को जिला स्तर पर कम्प्यूटरीकृत करायेंगे।

11. सर्वेक्षण के लिये ग्राम प्रधानों व स्वास्थ्य समितियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जायेगा।

12. इस सर्वेक्षण हेतु नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 (मानसिक विकलांगों के कल्याणार्थ) के अन्तर्गत गठित जनपद स्तरीय लोकल लेवल कमेटियों के सदस्यों का सहयोग भी लिया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि इस सर्वेक्षण कार्यक्रम को माह अक्टूबर से प्रारम्भ करके 31–12–2008 तक सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। सर्वे उपरान्त वांछित सूचना का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त,
समाज कल्याण विभाग

(केशव देसिराजू)
प्रमुख सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण,

पृष्ठांकन संख्या : 575/XVII-02/2008-06(4)2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमायूं मंडल, नैनीताल एवं गढ़वाल मंडल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त विकलांगजन उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रैफेल राईडर चेशायर होम, (स्टेट नोडल एजेन्सी सेन्टर-SNAC मोहिनी रोड, देहरादून।
13. एन0आई0सी0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्नेहलता अग्रवाल) 24/9/R

अपर सचिव।

Om Prakash/September Letter 2008 1 to 31

विकलांगता सर्वे उपरान्त संकलित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रपत्र

जिले का नाम	विकासखण्डों की संख्या	विकासखण्ड का नाम	0–6 वर्ष के विकलांगों की संख्या		06 से ऊपर के विकलांगों की संख्या		कुल योग
			दृष्टिबाधित		दृष्टिबाधित		
			अस्थिगत विकलांगता		अस्थिगत विकलांगता		
			मूक एवं बधिर		मूक एवं बधिर		
			मानसिक विकलांगता		मानसिक विकलांगता		
			अन्य विकलांगता		अन्य विकलांगता		
						महायोग	